180

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर R 1309-I-17

1 भबूदी उर्फ मल्ले पुत्र श्री टूडे धौषी
2 फूल सिंह पुत्र श्री टूडे धौषी
निवासीगण – ग्राम ढडोरा तहसील धुवारा जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मायाराम पुत्र श्री जगरथ धौषी
2– रति राम पुत्र श्री जसरथ धौषी
3– मूरत सिंह पुत्र श्री बकसू धौषी
4– फूलबाई पत्नी बकसू धौषी
निवासीगण – ढडोरा तहसील धुवारा जिला छतरपुर (म.प्र.)
5– कपूरीबाई पुत्री सुक्के धौषी पत्नी बलवन्त सिंह धौषी
निवासी – स्वारा तहसील धुवारा जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

02.5.17

2.5.17

02/05/17

<u>न्यायालय तहसीलदार तहसील धुवारा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, ग्राम ढडोरा तहसील धुवारा में स्थित भूमि खसरा नं. 44/2, 81, 105, 111/1, 111/2, 115, 170/2, 171, 173, 177, 178, 416, 178/2, 480, 481/1, 486/2, 487, 488 एवं शामिल नं. 489, 490, 522/1 कुल किता 21 कुल रकवा 17.799 है0 के संबंध में बंटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, उक्त आवेदन पत्र को तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 26/अ–27/2012–13 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् रूप से फर्द बंटवारा एवं पंचनामा के साथ ही साथ फर्दे प्रस्तुत की गयी थीं। जिसपर उभय पक्षो के हस्ताक्षर थे।
3. यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी कार्यवाही जारी रखी गयी। इसी बीच अनावेदकगण द्वारा एक आपत्ति दिनांक 27.09.2013 को इस आधार पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1309-एक/2017 जिला छतरपुर भबूदी विरूद्ध मायाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार धुवारा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 26/अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 21-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य